संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016
ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

क्रमांक /टीसी/136/खुरई-सागर/उपां/नग्रानि/2022 भोपाल,दिनांक:- /11/2022

प्रति,

1 **कलेक्टर,**
जिला सागर (म.प्र.)।

2 **संयुक्त संचालक,**
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय, सागर (म.प्र.)।

3 **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
जिला पंचायत,
सागर (म.प्र.)।

4 **मुख्य नगर पालिका अधिकारी,**
नगर पालिका परिषद खुरई
जिला सागर (म.प्र.)।

विषय:- खुरई विकास योजना, 2021 में हनौता बांध सिंचाई सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन कार्य योजनान्तर्गत उपांतरण बाबत - ग्राम जगदीशपुरा तहसील खुरई जिला सागर के खसरा क्रमांक 49, 52, 57/2 कुल रकबा 21.770 हेक्टेयर

--0--

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल द्वारा खुरई विकास योजना, 2021 में उपांतरण प्रस्तावित किया गया है। जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र **(हिन्दी एवं अंग्रेजी)** में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।

संलग्न:-यथोपरि।

(मुकेश चन्द गुप्ता)
वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

पृ. क्रमांक 5112/टीसी/136/खुरई-सागर/उपां/नग्रानि/2022 भोपाल,दिनांक:-7/12/2022

प्रतिलिपि:-

1 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।

2 संयुक्त संचालक/सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, आई.टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.) भोपाल को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

D:\LKI\upantaran 23k1k\New 23 k 1 kha.docx

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

सूचना

भोपाल,दिनांक:- 7/11/2022

क्रमांक 5109 /टीसी/136/खुरई-सागर/उपां/नग्रानि/2022 भोपाल, - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट खुरई विकास योजना 2021 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं	ग्राम/ तहसील एवं जिला	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
			कुल रकबा	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा		
1	2	3	4	5	6	7
1	ग्राम जगदीशपुरा तहसील खुरई जिला सागर	49	7.130	7.130	कृषि एवं 60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	आवासीय एवं 60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग
2		52	0.930	0.930	कृषि एवं 60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	आवासीय एवं 60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग
3		57/2	13.710	13.710	कृषि एवं 60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	आवासीय एवं 60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग
	कुल रकबा		**21.770**	**21.770**		

नोट :-

1. **प्रश्नाधीन भूमि के उत्तर दिशा में अवस्थित खुरई-दानखेड़ी-घोरट मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 60.00 मीटर निर्दिष्ट है। अत: मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।**
2. **स्थल के पास अवस्थित जलाशय, नाला के किनारों से वृक्षारोपण हेतु निर्दिष्ट सीमा तक प्रभावित भूमि को वृक्षारोपण हेतु सुरक्षित रखना आवश्यक होगा।**
3. **स्थल पर तथा प्रश्नाधीन भूमि से लगकर धार्मिक स्थलों, मरघट एवं विद्युत सब स्टेशन की भूमि को यथास्थिति सुरक्षित रखना आवश्यक होगा।**
4. **स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी।**

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सागर तथा वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, सागर को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर विचार किया जाएगा।

(मुकेश चन्द गुप्ता)
वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल